बिहार वित्त सेवा संघ

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

बैठक की कार्यवाही दिनांक–26.09.2021

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार कार्यवाही सं०..01...

संघ के 32वीं कार्यकारिणी की बैठक दिनांक–26.09.2021 को अपराह्न 3.00 बजे से 6.45 बजे तक संघ भवन के सभागार में संपन्न हुई। प्रारंभिक अभिवादन के उपरांत सर्वप्रथम संरक्षक मंडल एवं कार्यकारिणी के वरीय सदस्यों को पुष्प गुच्छ देकर कार्यसमिति के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष के औपचारिक अनुरोध पर संरक्षक मंडल द्वारा संघ के नवविकसित वेबसाईट **bfsabihar.in** का लोकार्पण किया गया। इसके उपरांत वेबसाईट के औचित्य, उपयोगिता एवं इसमें निहित तथ्यों पर कार्यकारिणी के विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रकाश डाला गया। ध्वनिमत से वेबसाईट की प्रशंसा की गई।

बैठक के दूसरे चरण में संघ के भावी **Road Map** पर चर्चा की गई। अध्यक्ष के प्रारंभिक संबोधन के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई एवं सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर व्यापक विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये जिसका क्रमवार विवरण निम्नवत हैः–

(1) बाह्य सेवा में पदस्थापित पदाधिकारियों के संबंध में :– इस संदर्भ में सदस्यों द्वारा महसूस किया गया कि विभाग के वैसे पदाधिकारी जो माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रभावी होने के समय (01.07.2017) से ही बाह्य सेवा में पदस्थापित हैं एवं पुनः माह जून–2021 में विभिन्न विभागों में आर्थिक सलाहकार के पद पर पदस्थापित किया गया है, के **G.S.T** के अन्तर्गत कार्यात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतएवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वैसे पदाधिकारियों को विभाग में वापस लाने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाये।

(2) प्रोन्नति :– उल्लेखनीय है कि पदाधिकारियों के प्रोन्नति का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस संबंध में आम राय बनी कि अन्य विभागों की तरह, जबतक प्रोन्नति के मामले लंबित है, वरीयता क्रम में अपने ही वेतनमान में उच्चतर पदों पर पदाधिकारियों का पदस्थापन किये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

Scanned with CamScanner

(3) वरीयता सूची :– अद्यतन वरीयता सूची का प्रकाशन प्रोन्नति हेतु अपरिहार्य है। इस तथ्य को सभी सदस्यों द्वारा रेखांकित किया गया कि अद्यतन वरीयता सूची के प्रकाशन हेतु प्रभावी अनुरोध किया जाये क्योंकि वर्षों से वरीयता सूची अद्यतन नहीं हुआ है।

(4) सेवा विनियमितीकरण/संपुष्टि :– सेवा संपुष्टि/विनियमितीकरण के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई। चर्चा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि सेवा में योगदान के पूर्व पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर रहे हैं। सभी जगहों से **Police Verification Report** एवं **Training Certificate** नहीं प्राप्त होने के कारण विनियमितीकरण/संपुष्टि का कार्य बाधित है। इस संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सुश्री कुमारी विनिता, संयुक्त सचिव, मुख्यालय स्तर पर समन्वय स्थापित कर मामले को **Expedite** करायेंगी एवं जिन मामलों में त्रुटि है, संबंधित पदाधिकारी को भी सूचित करेंगी ताकि त्वरित निष्पादन हो सके।

(5) विशेष सचिव स्तर के पद सृजन :– इस संदर्भ में सदस्यों द्वारा महसूस किया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशेष सचिव के संवर्गीय पद होने के बावजूद अपने विभाग में यह पद नहीं होना दुखद है। सर्वसम्मति से संवर्ग के संख्या बल के अनुपात में विशेष सचिव स्तर के पद सृजन हेतु अनुरोध किया जाये।

(6) वाहन की उपलब्धता :– हाल के दिनों में विभिन्न अंचलों/अन्य स्थापनाओं में पदाधिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई एवं परिणाम स्वरूप वाहन की कमी महसूस की गई। इस संबंध में आम राय बनी कि अंचलों/स्थापनाओं में उपलब्ध वाहन के अतिरिक्त एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाये।

(7) कार्यालय साज–सज्जा :– इस संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पदाधिकारियों के कार्यालय कक्ष पदाधिकारियों के अनुरूप हो जिसमें **Furniture,** वातानुकुलन/शौचालय इत्यादि सम्मिलित हैं। उक्त व्यवस्था बहाल करने हेतु विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

(8) 63वीं बैच एवं कतिपय अन्य पदाधिकारियों को **Laptop** अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया है जबकि पदाधिकारियों को नियमित तौर पर विभागीय कार्यों का निष्पादन करना होता है। निर्णय लिया गया कि विभाग से अनुरोध किया जाये कि पदाधिकारियों को **Laptop** खरीदने हेतु स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाये एवं बाद में एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति दी जाये।

Scanned with CamScanner

(9) आवास समस्या :— बैठक में यह महसूस किया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के आवासन की समस्या गंभीर है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में वाणिज्य–कर विभाग प्रमंडलीय कार्यालयों का भ्रमण संघ द्वारा किया जाये एवं प्रमंडल विशेष में सरकारी भूमि की उपलब्धता के आधार पर आवासीय/कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव प्रमंडलीय अपर आयुक्त (प्रशासन) के माध्यम से विभाग को दिया जाये।

(10) Data Entry Operator/ IT Boy की उपलब्धता :— कतिपय सदस्यों द्वारा संघ के संज्ञान में लाया गया कि अंचल कार्यालयों में डाटा इंट्री ऑपरेटर/आई.टी. ब्वॉय की संख्या कार्य बोझ के परिपेक्ष्य में कम है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रत्येक पदाधिकारी के लिए एक स्वतंत्र डाटा इंट्री ऑपरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पर्याप्त आई. टी. ब्वॉय की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सार्थक प्रयास किया जाये।

(11) प्रमंडल एवं अंचल का पुनर्गठन :— पदाधिकारियों के प्रोन्नति संबंधित संभावनाओं के आलोक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रमंडल/अंचल का पुनर्गठन अन्य राज्यों के सदृश्य करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाये।

(12) पालना घर :— महिला सदस्यों द्वारा बड़े कार्यालय परिसर में पालना घर की व्यवस्था से संबंधित मुद्दा उठाया गया। इस पर सदस्यों की आम राय बनी कि इसके संभावना को **Explore** कर सार्थक प्रयास किया जाये।

इसके अतिरिक्त व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु वैसे बैच जिससे कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हैं, यथा संभव 'विशेष आमंत्रित सदस्य' के रूप में कार्यकारिणी हेतु मनोनीत किया जाये।

बैठक के अंत में संघ के उपाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं यथोचित अभिवादन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

कोषाध्यक्ष

Krishna 01/10/21

(कृष्णा मोहन सिंह)

अध्यक्ष

01/10/21

(नन्द किशोर सिंह)

Scanned with CamScanner